



2026:AHC:126685

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 20068 वर्ष 2026

संजय कुमार राय @ संजय कुमार राजभर..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : लक्ष्मी सागर राजभर, महाबीर यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री महाबीर यादव, उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-06 वर्ष 2021 में धारा 120-बी, 409 और 420 भ०द०वि०, थाना-ईओडब्ल्यू, जिला-वाराणसी के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक 13.05.2026 से जेल में है। आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि उसने कंपनी में निवेश करने के लिए दूसरों को प्रेरित किया। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को खाते में कोई पैसा नहीं मिला है या किसी भी तरह से उपरोक्त निवेश को मजबूर किया है। आवेदक को सौंपी गई भूमिका कथित अपराध के कमीशन में सह-अभियुक्त की सहायता करना है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त, राजेश कुमार यादव को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-5373 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 13.02.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक कथित अपराध का लाभार्थी नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि समान रूप से स्थित सह-आरोपी राजेश कुमार यादव को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. आवेदक के अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, अपर शासकीय अधिवक्ता और प्राथमिकी की सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को देखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

6. आवेदक- संजय कुमार राय @ संजय कुमार राजभर, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या जिस पर उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की



स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भ०द०वि० की धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बी.एन.एस.) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ भ०द०वि० की धारा 174-ए (संबंधित धारा 209 बी.एन.एस.) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) द०प्र०स० की धारा 313 (संगत धारा 351 बी.एन.एस.एस.) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10 जून 2026

आदित्यजी

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)